

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-०६ / २०२२

शल्य कक्ष सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

१. स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत शल्य कक्ष सहायक के कुल-1096 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-242, दिनांक-०६.०१.२०२१ के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.pariksha.nic.in पर दिनांक-०२.०८.२०२२ से दिनांक-०१.०९.२०२२ तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रोस्टर के अनुसार शल्य कक्ष सहायक हेतु पद की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

वेतनमान	पदों की कोटिवार विवरणी									
	अना०	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन० जाति	अ० पि० व०	पि०व० की महिला	कुल	स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी हेतु 2%	दिव्यांग हेतु 4%	
अपुनरीक्षित वेतनमान— 5200—२०२०० एवं ग्रेड पै०—२४०० तथा सातवे पुनरीक्षित वेतन संचरणना में वेतन स्तर-४	426	106	175	12	198	141	38	1096	21	VI: दृष्टि दिव्यांगता— 11 OH: चलन दिव्यांगता— 10 DD: मूक बधिर दिव्यांगता— 10 MD: मनोविकार दिव्यांगता— 11 ----- कुल—42
35 % महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	148	32	64	03	72	42	361		

२. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इन्टरवीडियट / +२ (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उर्तीण होना चाहिए।
- (ii) इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा (D.O.T.A) कोर्स/बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी (B.O.T.T) कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है।

३. आयु सीमा:- (i) दिनांक-०१.०८.२०२१ को न्यूनतम १८ वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:-

- (ii) अनारक्षित—३७ वर्ष
- (iii) अनारक्षित महिला—४० वर्ष
- (iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)—४० वर्ष
- (v) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला)—४२ वर्ष
- (vi) उक्त आयु सीमा में सांप्रदीयों के संकल्प सं०-६२, दिनांक-०५.०१.२००७ के आलोक के दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में १० वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (vii) सांप्रदीयों के संकल्प सं०-२३७४, दिनांक-१६.०७.२००७ के आलोक में सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा के ५ (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

- (viii) सांप्रदिवि० के संकल्प सं०-1003, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2016 को इस विज्ञापन में वर्णित वांक्षित योग्यता रखते हैं, उन्हें कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 05 (पाँच) वर्षों का छूट देय होगा।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर /कोथी/हिजड़ा ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछले वर्षों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. चयन की प्रक्रिया:-

1	इन्टरमीडियट /+2 में प्राप्तांक के लिए	30 अंक
2	शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा (D.O.T.A)/बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी (B.O.T.T) कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	25 अंक
3	शल्य कक्ष सहायक, सहायक के कोर्स में उच्चतर शिक्षा (बी०एस०सी०-10 अंक/एम०एस०सी०-10 अंक) के लिए	20 अंक
4	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव के लिए प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन से प्रतिहस्ताक्षरित कार्यानुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर (प्रतिवर्ष-5 अंक, अधिकतम-25 अंक) दिए जायेंगे किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा। (सांप्रदिवि० के संकल्प सं०-1003, दिनांक-22.01.2021)	25 अंक
कुल:-		100 अंक

नोट:-

- (i) इन्टरमीडिएट /+2 एवं शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा कोर्स/बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का अवधारण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 या 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात्, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50 \times 0.3 = 15$ या $50 \times 0.25 = 12.5$ अंक दिये जायेंगे।
- (ii) अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक-02.08.2022 तक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे, जो संबंधित अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर कार्यानुभव का अंक देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक:-02.08.2022 तक की जायेगी।
- (iii) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) स्पष्टीकरण:-

स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-562(4), दिनांक-12.07.2021 से प्राप्त मंतव्य के अनुसार:-

- (क) जो अभ्यर्थी सीधे बैचलर डिग्रीधारी है उन्हें डिप्लोमा के समकक्ष बेसिक डिग्री मानते हुए 25 अंक देय होगा। चूंकि उनका बैचलर डिग्री बेसिक डिग्री है, अतएव उन्हें उच्चतर डिग्री हेतु अंक देय नहीं होगा।
- (ख) डिप्लोमा के साथ बैचलर डिग्रीधारी को उच्चतर डिग्री हेतु 10 अंक देय होगी।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा बैचलर डिग्री के पश्चात् स्नातकोत्तर (M.Sc.) किया गया है (परंतु अभ्यर्थी डिप्लोमाधारी नहीं) तो वैसे अभ्यर्थी को उच्चतर डिग्रीधारी को 10 अंक देय होगा।

5. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ

देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

- जाति प्रमाण-पत्र
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

- क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थी)
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

- परिसम्पति प्रमाण पत्र—(सामान्य प्रशासन विभाग की अधिनं सं०-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में)
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

- नोट—**
- (a) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - (b) सा०प्र० विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-08.03.2021 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है।
 - (c) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

क्र०सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

- (iv) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक -16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती/नाती-नतिनी/संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
- 6. आवेदन शुल्कः**— (i) Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	उम्मीदवार की कोटि	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	रु0 200/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु0 50/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के निवासी)	रु0 50/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला /पुरुष हों।	रु0 200/-

- (ii) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपया परीक्षा शुल्क देय होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस. बी. आई के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।
- (vi) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

7. महत्वपूर्ण निर्देशः—

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसेलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) कंडिका 3 (iv) के अंतर्गत अधिमानता का दावा करने वाले उम्मीदवारों को कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप (Format) में) निर्गत करने के लिए संबंधित अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे।
8. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
9. योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्र यथा— शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों के निर्गत होने की तिथि दिनांक-01.09.2022 के पूर्व का होना आवश्यक है।
10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसेलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.pariksha.nic.in एवं www.btsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट का सतत निरक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, SMS अथवा ई०मेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
15. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना, नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफः**—(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।(तीन माह के अंदर का)
 - (ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
 - (ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो फोटो बिना चश्मा के खींचवाएंगे।
 - (घ) कंडिका—14(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 - (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
 - (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा

अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशों के आलोक में विज्ञप्ति में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट:-1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण—पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

30.7.2022
सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट—I

संस्थान / कार्यालय का नाम:—

अनुभव प्रमाण—पत्र

ज्ञापांक:—

दिनांक:—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति पता की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०—.....
दिनांक—..... द्वारा संविदा के आधार पर (पदनाम)
के पद पर नियुक्ति के पश्चात (कार्यालय का
नाम) में (पदनाम) के रूप में दिनांक— से
तक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय की दर से भुगतान
किया जाता है/था।

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

निर्गत करने वाले सक्षम
पदाधिकारी का पूरा नाम:—
पदनाम:—
प्रशासी विभाग का नाम:—